कार्यालय नगर पालिका परिषद टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
स्व–कर निर्धारण नियमावली

प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग–9 के शासनादेश संख्या 135/9–9–11–190 द्वि रा. विकृआ/4 दिनांक 18 मार्च 2011 जिसे नगर पालिका परिषद टूण्डला ने नगर सीमा में स्थित भवनो/भूखण्डो पर स्वतः करों को निर्धारित किया जाना स्वीकार किया है।

उपरोक्त के अनुक्रम में उ0प्र0 विधान मण्डल द्वारा उ0प्र0 नगर पालिका (संसोधित) अधिनियम संख्या 08सन् 2011 एवं न0प0अधि0 1916 की धारा –128 यथा संशोधित में प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करके नगर पालिका परिषद टूण्डला अपनी सीमा/निकट भविष्य में विस्तार होने वाली सीमा के अन्तर्गत स्थित भवनो/भूखण्डो अथवा दोनों पर जलकर, गृहकर अधिरोपण, एवं उनकी वसूली हेतु नियमावली उपविधियाँ तैयार की है।
जो नगर पालिका परिषद टूण्डला की वेबसाइट npptundla.nppnp.com पर प्रकाशित की गयी है एवं नगर पालिका के नोटिस वोर्ड पर चस्पा की गयी है उक्त उपविधि में निम्नलिखित दरें निर्धारित की गयी है।

अतः नगर पालिका परिषद टूण्डला के समस्त नागरिकों से उक्त उपविधि और निर्धारित दरों पर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित की जाती है 15 दिवस के भीतर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद टूण्डला के कार्यालय में आपत्ति/सुझाव दिये जा सकते है। 15 दिवस के उपरान्त किसी भी आपत्ति पर विचार नही किया जायेगा।

प्रस्तावित नियमावली

1. नियमावली/उपविधियों का तात्पर्य नगर पालिका परिषद टूण्डला जलकर, गृहकर अधिरोपण एवं वसूली नियमावली/उपलब्धियां–2012 व अधिनियम संख्या 08 सन् 2011 उपरोक्त से ।
2. अध्यक्ष/प्रशासन का तात्पर्य निर्वाचित अध्यक्ष नगर पालिका/जिलाधिकारी अथवा शासन द्वारा प्राधिकारी अथवा प्रभारीधिकारी कहलायेगा जैसी स्थिति हो।
3. अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद टूण्डला से जो कि अधिनियम सं0 08 के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी होगा। अधिशासी अधिकारी कर निर्धारण की शक्तियां अधीनस्थ को प्रतिनिहित करके करों का अधिरोपण भी करवां सकेगा।
4. भवनो का तात्पर्य नगर पालिका की सीमा में स्थित भवनों/सम्पत्तियों/संस्थानों/दुकानों/मिलो/आदि से है एवं भविष्य में सीमा में शामिल भवनों/सम्पत्तियां नगर पलिका अधिनियम 1916 के अध्याय में वर्णित परिभाषा धारा–7 में उल्लेखित यथा संशोधित से है ।
5. आपत्तियों का निराकरण एवं निस्तारण संशोधित अधिनियम सं0–08 धारा 143 के उपबन्धों के अधीन अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा गठित समिति द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।
6. कर निर्धारण सूचियां पंजिकाओं में भवन/भूखण्डो के स्वामियों के नामों एवं निर्धारित जलकर/गृहकर में परिवर्तित संशोधित सम्बन्धी प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण न0पा0अधि0 1916 की धारा 147 व धारा 152 के उपबन्धो के अधीन अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
7. न0 पा0 अधि0 1916 की धारा 129 के उपबन्धों के अधीन नगर पालिका द्वारा अपने किसी भी प्रकार के पेयजल संसाधनो से सर्वसाधारण को पेयजल उपलब्ध कराये जाने वाले स्तम्भ में 200 मी0 अर्ध व्यास की परिधि मे स्थित भवनों पर जलकर का अधिरोपण किया जायेगा।
8. जलकर, ग्रहकर के अतिरिक्त जलमूल्य (वाटर चार्ज) प्रतिमाह 50.00 रू0 की दर से बसूला जायेगा।
9. उपरोक्त नियम –5 के साथ यदि कोई व्यक्ति किसी भी भवन/भूखण्ड को अथवा अंश को विलेखों द्वारा या अन्य कारणों के होते हुए हस्तान्तरित करता है तो विलेख निष्पादन तिथि अथवा कारण तिथि से 90 दिन के अन्दर ग्रहणकर्ता अपने नाम नगर पालिका अभिलेखो में दर्ज/अंकित करायेगा ऐसा न कर पाने की दशा में यह कार्यवाही रू0 1000/– जमा करने पर ही हो सकेगी। विशेष परिस्थितियों में यह अधिभार, अधिकारी कम अथवा माफ कर सकेगा। (न0 पा0 अधिनियम 1916 धारा 141 ख 2)

Scanned by TapScanner
Scanned with CamSca

10. निर्धारित तिथि तक प्रपत्र 'ख' न जमा करने पर रू0 1000/– तक अर्थदण्ड देना होगा।

11. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद बकाया करों का भुगतान भवन/भूखण्डों स्वामी अध्यासी/किरायेदार को 12 प्रतिशत की दर से सरचार्ज देय होगा जिसमें भुगतान न जमा करने पर प्रतिवर्ष सरचार्ज में स्वतः वृद्धि होती रहेगी और बिल उपलब्ध कराने के 6 माह के पश्चात बकाया की वसूली भू– राजस्व की बकाये की भांति अधिशासी अधिकारी कराने हेतु बाध्य होगा। न0 पा0 अधिनियम 1916 धारा–139।

12. नगर पालिका समय–समय पर बकायेदारों की सूची प्रकाशन करेगी तदोपरान्त नगर, पालिका अधिनियम 1916 धारा–173 के अन्तर्गत कार्यवाही करेगी।

13. धार्मिक संस्था या मन्दिर/मस्जिद/गुरूद्वारा आदि प्रांगण कर मुक्त रहेंगे परन्तु यदि इसका उपयोग शैक्षणिक धार्मिक या धर्मार्थ कार्य से विरत रहकर अन्य व्यवसायिक कार्य शादी–बारात समारोह आदि के प्रयोग। न0पा0 अधिनियम 1916 की धारा 129–क।

14. सेवारत/सेवानिवृत्त सैन्य कर्मचारी के द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु प्रसक्त भवन का सामान्य कर शासनादेशों के अधीन होगा।

15. पेट्रोल पम्पों पर जलकर, गृहकर शासनादेशों के अनुसार परिवर्तनीय होगा। वर्तमान में उस परिसर में बनी गैर आवासीय व्यवसायिक भवनों का मुल्यांकन एवं जलकर, गृहकर का आरोपण सामान्य व्यवसायिक भवनों के अनुरूप किया जायेगा।

16. भवनों के नवनिर्माण/परिवर्तन की दशा में प्रत्येक तीन माह के अन्तराल से आकस्मिक कर निर्धारण तत्समय के सर्किल रेट पर किया जायेगा। जिसका भुगतान भवन/भू–स्वामी/अध्यासी को करना होगा।

17. आरोपित करों की वसूली विशेष परिस्थितियों में अध्यासी से भी की जा सकेगी। जिसका समायोजन अध्यासी भवन स्वामी से कर सकेगा।

18. उपरोक्त नियमावली/उपविधियों के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश जो समय–समय पर निर्गत होगे मान्य होगे अन्यथा की दशा में नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 प्रभावी होगी।

19. रेन्ट कन्ट्रोल के मकान रेन्ट कन्ट्रोल 1972, के अधिनियम के अधीन आने वाली आवासी भवनों पर नगर पालिका परिषद टूण्डला प्रत्येक करों की गणना के लिए वार्षिक किराये का निर्धारण रेन्ट कंट्रोल अधिनियम के अन्तर्गत नही होगा। बल्कि उसके किराये का निर्धारण उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा तथा ऐसे भवनों के करों की देयता अब किरायेदार की होगी। न0पा0अधि0, 140–1 स्पष्टीकरण–2।

20. प्रपत्र कब भरना होगा–

(क) जब कभी भवन स्वामी द्वारा अध्यासित को, किराये पर दिया गया हो या स्वयं अध्यासित हो या किराये से वापस अपने अध्यासन में किया गया हो इसके तीन सप्ताह के भीतर प्रपत्र 'ख' में ही पुनः विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(ख) जब किसी भवन कारपेट एरिया या भूमि का क्षेत्रफल या दोनो में परिवर्तन अथवा परिवर्धन किया जाता है तो उसके लिए तीन मास के भीतर यथा स्थित भवन/भूस्वामी अथवा अध्यासित द्वारा प्रपत्र में विवरण भरना अनिवार्य होगा।

(ग) गलत सूचना देने पर अंकन 5000/–रू0 जुर्माना एवं अर्थ दण्ड देय होगा।

(घ) जिस भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा कर निर्धारण का विकल्प नहीं अपनाया जायेगा तो उसके सम्बन्ध में कर का निर्धाण एवं वसूली की कार्यवाही पालिका द्वारा स्वयं की जायेगी।

स्वतः कर (टैक्स) निर्धारण की गणना कैसे करें–

01. स्वयं कर निर्धारण फार्म नगर पालिका परिषद टूण्डला से प्राप्त करें।
02. फार्म भरने हेतु पूर्ण रूप से पढ़े।
03. भवन/भूखण्ड का नगर पालिका परिषद टूण्डला से प्राप्त करें।

(क) कमरें, ड्राईगरूम अच्छादित वरामदे की पूरी लम्बाई गुणा चौड़ाई।
(ब) किचिन स्टोर वालकनी कॉरिडोर की पूरी लम्बाई गुणा चौड़ाई का 50 प्रतिशत।
(स) गैराज की पूरी लम्बाई गुणा चौड़ाई का 25 प्रतिशत।

Scanned by TapScanner
Scanned with CamSca

(द) स्नान गृह शौचालय जीने के अच्छादित क्षेत्रफल की माप नही की जायेगी।

04. निर्धारित मासिक किराया दर से कार्पेट एरिया के योग को गुणा करें तथा 12 से गुणा करने पर वार्षिक किराया प्राप्त होगा।

05. अच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर दरें कार्पेट एरिया का 80 प्रतिशत होगा।

06. भवन स्वामी द्वारा भवन में स्वयं निवास करने पर वार्षिक किराया (ए.आर.बी.) में निम्न छूट को घटाये।

(क) दस वर्ष की आयु वाले भवनों में (ए.आर.बी.) को (–) .25 प्रतिशत ।

(ख) दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम आयु बाले भवनो में (ए.आर.बी.) को (–) 0.3 प्रतिशत।

(ग) बीस वर्ष से अधिक आयु वाले भवनों में (ए.आर.बी.) को (–) 0.40 प्रतिशत।

(घ) व्यवसायिक भवनों/दुकानों का गृहकर व जलकर नगर पालिका द्वारा अधिकतम निर्धारित दर की 05 गुना वास्तविक किराये के अनुसार व्यवसायिक भवनो में कोई छूट अनुमन्य नही होगी।

07. यदि भवन किराये पर उठाया गया है जो नियमानुसार अवधारित वार्षिक (ए.आर.बी.) में जोड़े।

(क) दस वर्ष से अधिक पुराना हो तो 25 प्रतिशत अधिक होगा। (ए.आर.बी. + 25) प्रतिशत।

(ख) दस वर्ष से किन्तु बीस वर्ष से कम पुराना हो तो 12.5 प्रतिशत अधिक होगा। (ए.आर.बी. +12.5) प्रतिशत।

(ग) बीस वर्ष से अधिक पुराना हो तो यथावत समझा जायेगा।

08. भवनो में कई मंजिल होने की दशा में प्रत्येक मंजिल का वार्षिक किराया मूल्य उपरोक्त विधि से ही ज्ञात किया जायेगा।

<u>अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद टूण्डला द्वारा निर्धारित कारपेट एरिया प्रतिवर्ग फुट मासिक किराये की दरें</u>

(रूपये में)

भवन की प्रकृति	पक्का मकान (आर0सी0सी0/ R.B.Bछत ईट/पत्थर/टाईल एवं सीमेंट से जुड़ी दीवार)		अर्द्ध पक्का मकान (ईट/पत्थर/टाईल्स एवं मिट्टी से जुड़ी दीवार)		कच्चा भवन (मिट्टी/पत्थर व मिट्टी से बनी दीवार)	भूमि/भू-खण्ड के सम्बन्ध में
फर्श की प्रकृति सड़क की चौड़ाई	पत्थर/टाइल्स / पक्का/फर्श मुजाइक	कच्चा फर्श	पत्थर/टाइल्स पक्का/फर्श मुजाइक	कच्चा फर्श		
क– (15 फुट से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित भवन)	1.00	0.50	0.80	0.30	0.30	0.20
ख– (15 फुट से 10 फुट चौड़ी सड़क पर स्थित भवन)	0.80	0.40	0.60	0.25	0.20	0.15
ग–(10 फुट से कम चौड़ी सड़क पर स्थित भवन)	0.50	0.25	0.20	0.10	0.05	0.05

नोट–

1. यदि किसी करदाता द्वारा जलकर व गृहकर वित्तीय वर्ष में जमा नही किया जाता है तो बकाये पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज बसूला जायेगा।
2. जलकर, गृहकर के अतिक्ति प्रत्येक जल संयोजन शुल्क रू0 1115.00 व जलमूल्य (वाटर चार्ज) पर प्रतिमाह 50.00 रू0 की दर से बसूला जायेगा। जो जलकर में समायोजित होगा।
3. कर निर्धारण हेतु निर्धारित कारपेट एरिया प्रतिवर्ग फुट मासिक किराये की दरें प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् कारपेट एरिया प्रतिवर्ग फुट मासिक किराये की दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।

Scanned by TapScanner

Scanned with CamSca

4. **कर निर्धारण रजिस्टर में नामांतरण–**

(i) विक्रय विलेख दान, हिवा एवं वसीयत आदि के आधार पर नामांतरण के लिए सर्किल रेट के 0.50 प्रतिशत नामांतरण शुल्क देना होगा और नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 147 (1)B के की प्रक्रिया और समाचार पत्र में प्रकाशन 30 दिन की आपत्ति आदि के उपरान्त नामांतरण किया जायेगा।

(ii)उत्तराधिकार, वारिसान आदि के आधार पर–नामांतरण के लिए पालिका द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 147 1(B) की प्रक्रिया और समाचार पत्र में प्रकाशन 30 दिन की आपत्ति आदि का पालन कर 1000/–नामांतरण शुल्क और 700/–रू0 प्रकाशन शुल्क एंव असिसमेन्ट नकल शुल्क प्रति भवन संख्या प्रति नकल रू0 100.00 लिया जायेगा।

फार्म ख का प्रारूप

नगर पालिका परिषद टूण्डला

प्रपत्र ख सम्पत्ति कर का स्वतः कर निर्धारण प्रपत्र

1. (एक) भवन/मकान/भूखण्ड /भूमि की संख्या.......................वार्ड सं0......................जल संयोजन सं0.......
   (दो) स्वामी/अध्यासी का नाम..
   (तीन) स्वमी/अध्यासी के पिता का नाम..
   (चार) स्वमी/अध्यासी की पत्नी का नाम..
   (पांच) स्वमी/अध्यासी का अस्थाई पता...
   (छ:) स्वमी/अध्यासी का स्थाई पता...
   (सात) स्वमी/अध्यासी का अस्थाई पता...
   नोटः– कृपया भवन/भूमि से जो भी सम्बन्धित हो उसके खाने में सही का निशान/संख्या लिखें।

2. भवन का विवरण

(1) मंजिलो की संख्या ( )
(2) कमरो की संख्या ( )

3. भवन अवस्थित है

(1) 15 फुट से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर भवन ( )
(2) 15 फुट से 10 फुट तक चौड़ाई वाले मार्ग पर भवन ( )
(3) 10 फुट से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर भवन ( )

4.भवन के निर्माण की प्रकृति –

(I) पक्का भवन आर0सी0सी0/आर0बी0 छत सहित ( )
(II) अर्द्ध पक्का मकान ( )
(III) कक्चा मकान ( )

5. भवन के फर्श की प्रकृति–

(I) पत्थर/टाइल्स/मुजाइक युक्त फर्श ( )
(II) पक्का फर्श ( )
(III) कच्चा फर्श ( )

6. भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं हैं) अवस्थित हैं–

(I) 15 फुट से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर भवन ( )
(II) 15 फुट से 10 फुट तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर भवन ( )
(III) 10 फुट से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर भवन ( )

7.भवन सम्बन्धित ब्यौरा (लम्बाई X चौड़ाई)–

(क) समस्त कमरों और आच्छादित बरामदों का आन्तरिम आयाम (वर्ग फुट में)..............................
(ख) बालकनी, कारीडोर, रसोई और भण्डारगृह का आन्तरिम आयाम (वर्ग फुट में)...................

Scanned by TapScanner
Scanned with CamSca

(I) भवन का कुल कारपेट एरिया क + ख/2+ग/4..

(II) भवन का वार्षिक किराया मूल्य (ए0आर0बी0) 12 X अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित दर X कारपेट एरिया का 80 प्रतिशत टिप्पणी स्नानगृह, शौचालयों, पोर्टिको और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नही होगा।

8. **भूमि सम्बन्धित ब्यौरा (लम्बाई X चौड़ाई)**

(क) वार्षिक किराया मूल्य आदि भूमि खाली है 12 X अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित दर X भूमि काक्षेत्रफल..............................

(ख) व्यवसायिक उपयोग की स्थिति में भूमि का वार्षिक किराया मूल्य (ए0आर0बी)12 X अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित दर X भूमि का क्षेत्रफल...

(ग) क + ख X 0.80..

9. स्वामी द्वारा अध्यासित होने की दशा में भवन का बार्षिक किराया मूल्य धारा 140 (2) में उल्लिखित छूट देने के पश्चात् (जो लागू न हो उसे काट दें)।

(I) दस वर्ष से कम का मकान वार्षिक किराया X 0.75....................................

(II) 10 वर्ष से 20 वर्ष का मकान वार्षिक किराया X 0.675..................................

(III) 20 वर्ष से अधिक पुराना मकान वार्षिक किराया मुल्य X 0.60..................................

10. किराये/व्यवसायिक होने की दशा में भवन कर वार्षिक मूल्य धारा 140 (2)–ख में यथा उल्लेखित वृद्धि करने के पश्चात् (जो लागू न हो उसके काट दें)।

(I) 10 वर्ष से कम का मकान वार्षिक किराया X 1.25....................................

(II) 10 वर्ष से 20 वर्ष का मकान वार्षिक किराया X 1.25....................................

(III) 20 वर्ष से अधिक पुराना मकान वार्षिक किराया यथावत्–....................................

11. सामान्य कर(ए0आर0बी0) का गृहकर10 प्रतिशत एवं जलकर 10 प्रतिशत

(I) भवन का वार्षिक किराया मूल्य + भूमि का वार्षिक किराया मूल्य का 10 प्रतिशत गृहकर...

(II) भवन का वार्षिक किराया मूल्य + भूमि का वार्षिक किराया मूल्य का 10 प्रतिशत गृहकर...

क्र0सं0	कर	राशि	
1	गृहकर	रू0.	पै0.
2	जलकर		
3	योग		

कुल योग :–

कुल

योग (शब्दों में)

जांच किया गया अवलोकित/अनुमानित

जांचकर्ता

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद टूण्डला
जनपद फिरोजाबाद।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
टूण्डला (फिरोजाबाद)

Scanned by TapScanner
Scanned with CamSca

स्वामी/अध्यासी द्वारा घोषणा

मैं एतत द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने उल्लेखित शर्ते एवं सूचनाए सावधानी पूर्वक पढ़ी है मुझे मान्य है मैने इस प्रपत्र में दिए गये विवरणों/सूचनाओं में कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया गया है तो मेरे विरूद्ध जो भी निर्णय लिया जायेगा मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर.............................

नाम......................................पूरा पता..................................

सत्यापन

मैं एतत द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि स्वमूल्यांकन विवरण में प्रस्तुत किए गए ब्योरों, जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास में है ठीक और पूर्ण हैं।

हस्ताक्षर.............................

नाम.....................................

स्थायी पता...................................

दिनांक..

अनुप्रमाणक साक्षी.....................................

हस्ताक्षर...................................

नाम...

पिता–माता का नाम...

पूरा पता..

अभिस्वीकृत

जिस व्यक्ति से प्रपत्र क प्राप्त किया उसका विवरण नीचे दिया जा रहा हैं।

(एक) स्वामी/अध्यासी का नाम...

(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम...

(तीन)भवन/मकान/भूखण्ड की संख्या...

(चार)भवन/मकान/भूखण्ड की अवस्थिति का पता.......................................

(पांच)स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता...

(छः)स्वमी/अध्यासी का अस्थायी पता..

दिनांकः–

हस्ताक्षर.............................

नाम....................................

पदनाम..............................

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद टूण्डला
जनपद फिरोजाबाद।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
टूण्डला (फिरोजाबाद)

Scanned by TapScanner
Scanned with CamSca

पत्रांकः—744/न०पा०प० टूण्डला/2022-23 दिनांकः— 22.08.2022

प्रतिलिपिः—

1. कार्यालय जिलाधिकारी महोदय फिरोजाबाद की सेवा में नोटिस वोर्ड पर पर चस्पा हेतु।
2. प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय फिरोजाबाद की सेवा में नोटिस वोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. उपजिलाधिकारी महोदय टूण्डला की सेवा में नोटिस वोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. नगर पालिका परिषद टूण्डला जनपद फिरोजाबाद के नोटिस वोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. नगर पालिका परिषद टूण्डला का प्रकाशन नगर पालिका परिषद टूण्डला की बेवसाइड www. npptundla.nppnp.com पर होगा।
6. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद टूण्डला
जनपद फिरोजाबाद

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
टूण्डला (फिरोजाबाद)

Scanned by TapScanner
Scanned with CamScanner

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, टूण्डला (फिरोजाबाद)

पत्रांक 744 / न0पा0प0 टूण्डला / 2022–23 दिनांक– 22-08-2022

प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग–9 के शासनादेश संख्या 135/9–9–11–190 द्वि रा.विकृआ/4 दिनांक 18 मार्च 2011 जिसे नगर पालिका परिषद टूण्डला ने नगर सीमा में स्थित भवनो/भूखण्डो पर स्वतः करों को निर्धारित किया जाना स्वीकार किया है।

उपरोक्त के अनुक्रम में उ0प्र0 विधान मण्डल द्वारा उ0प्र0 नगर पालिका (संसोधित) अधिनियम संख्या 08सन् 2011 एवं न0प0अधि0 1916 की धारा –128 यथा संशोधित में प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करके नगर पालिका परिषद टूण्डला अपनी सीमा/निकट भविष्य में विस्तार होने वाली सीमा के अन्तर्गत स्थित भवनो/भूखण्डो अथवा दोनों पर जलकर, गृहकर अधिरोपण, एवं उनकी वसूली हेतु नियमावली उपविधियाँ तैयार की है।

जो नगर पालिका परिषद टूण्डला की वेबसाइट npptundla.nppnp.com और नगर पालिका परिषद टूण्डला फिरोजाबाद की वेबसाइट npptundla.nppnp.com पर प्रकाशित की गयी है, नगर पालिका के नोटिस वोर्ड पर चस्पा की गयी है उक्त उपविधि में निम्नलिखित दरें निर्धारित की गयी है।

अतः नगर पालिका परिषद टूण्डला के समस्त नागरिकों से उक्त उपविधि और निर्धारित दरों पर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित की जाती है 30 दिवस के भीतर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद टूण्डला के कार्यालय में आपत्ति/सुझाव दिये जा सकते है। 30 दिवस के उपरान्त किसी भी आपत्ति पर विचार नही किया जायेगा।

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद टूण्डला द्वारा निर्धारित कारपेट एरिया प्रतिवर्ग फुट मासिक किराये की दरें (रूपये में)

भवन की प्रकृति	पक्का मकान (आर0सी0सी0/ R.B.Bछत ईट/पत्थर/टाईल एवं सीमेंट से जुडी दीवार)		अर्द्ध पक्का मकान (ईट/पत्थर/टाईल्स एवं मिट्टी से जुडी दीवार)		कच्चा भवन (मिट्टी/पत्थर व मिट्टी से बनी दीवार)	भूमि/भू–खण्ड के सम्बन्ध में
फर्श की प्रकृति सडक की चौडाई	पत्थर/टाइल्स/ पक्का/फर्श मुजाइक	कच्चा फर्श	पत्थर/टाइल्स पक्का/फर्श मुजाइक	कच्चा फर्श		
क– (15 फुट से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित भवन)	1.00	0.50	0.80	0.30	0.30	0.20
ख– (15 फुट से 10 फुट चौड़ी सडक पर स्थित भवन)	0.80	0.40	0.60	0.25	0.20	0.15
ग–(10 फुट से कम चौडी सडक पर स्थित भवन)	0.50	0.25	0.20	0.10	0.05	0.05

नोट–

01. यदि किसी करदाता द्वारा जलकर व गृहकर वित्तीय वर्ष में जमा नही किया जाता है तो बकाये पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज बसूला जायेगा।
02. जलकर, गृहकर के अतिक्ति प्रत्येक जल संयोजन शुल्क रू0 1115.00 जलमूल्य (वाटर चार्ज) पर प्रतिमाह 50.00 रू0 की दर से बसूला जायेगा। जो जलकर में समायोजित होगा।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, टूण्डला (फिरोजाबाद)

पत्रांक : 744/ न0पा0प0 टूण्डला/2022–23 दिनांक– 22-08-222

प्रतिलिपि–निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय, फिरोजाबाद।
02. अपर जिलाधिकारी(वि/रा0) प्रभारी अधिकारी (स्था0नि0) महोदय,फिरोजाबाद।
03. तहसीलदार तहसील टूण्डला फिरोजाबाद।
04. संपादक दैनिक समाचार पत्र ....टूण्डला को इश आशय के साथ कि वह अपने आगामी अंक में शासकीय दरों पर कम से कम स्थान पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद टूण्डला
जनपद फिरोजाबाद।
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
टूण्डला (फिरोजाबाद)

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद टूण्डला
जनपद फिरोजाबाद।
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
टूण्डला (फिरोजाबाद)

Scanned by TapScanner
Scanned with CamSca